

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सीमांत एवं लघु किसानों की समस्या एवं सरकार द्वारा किए गए समाधान का एक विश्लेषण (मुजफ्फरपुर जिला के विशेष संदर्भ में)

भगवान राय

शोधार्थी, अर्थशास्त्र विभाग,

बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर

रवीन्द्र कुमार चौधरी

प्रोफेसर, स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग, संकायाध्यक्ष (सामाजिक विज्ञान एवं शिक्षा)

बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर

सह

प्राचार्य, महारानी जानकी कुँवर महाविद्यालय, बेतिया (पश्चिम चंपारण),

बाबासाहेब भीमराव अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर की अंगीभूत मॉडल कॉलेज

सारांश

भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सीमांत और लघु किसान, जो देश की कुल कृषि जोत का लगभग 86% हिस्सा जोतते हैं, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिहार का मुजफ्फरपुर जिला, जो अपनी कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था और लिची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इन किसानों की चुनौतियों को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। यह शोध पत्र सीमांत और लघु किसानों की समस्याओं, जैसे भूमि विखंडन, ऋणग्रस्तता, संसाधनों तक सीमित पहुंच, और बाजार की अनिश्चितताओं का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है। साथ ही, यह न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसी सरकारी योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन भी करता है। मुजफ्फरपुर जिले के संदर्भ में सांख्यिकीय आकड़ों के माध्यम से विश्लेषण को समृद्ध किया गया है। अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि यद्यपि सरकारी पहलों ने कुछ हद तक राहत प्रदान की है, फिर भी संरचनात्मक सुधारों और स्थानीय स्तर पर कार्यान्वयन को मजबूत की जाने की आवश्यकता है। यह पत्र नीति निर्माताओं के लिए सुधार के क्षेत्रों, जैसे बागवानी फसलों के लिए MSP का विस्तार, वित्तीय समावेशन, और जलवायु अनुकूलन पर ध्यान केंद्रित करने की सिफारिश करता है, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाया जा सके।

मुख्य शब्द: सीमांत किसान, लघु किसान, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, मुजफ्फरपुर जिला, भूमि विखंडन, ऋणग्रस्तता, संसाधनों तक पहुंच, बाजार अनिश्चितताएँ, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

परिचय

भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान उल्लेखनीय रूप से परिवर्तित हुआ है। 1950 के दशक में यह सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 50% था, जो 2015-16 तक घटकर 15.4% रह गया [1]। इसके बावजूद, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व अक्षुण्ण है, क्योंकि यह देश की लगभग 60% आबादी को आजीविका प्रदान करता है [2]। विशेष रूप से, सीमांत (1 हेक्टेयर से कम) और लघु (1-2 हेक्टेयर) किसान ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। ये किसान भारत की कुल कृषि जोत

का 86% और कुल कृषि क्षेत्र का 44% हिस्सा रखते हैं [3]। उनकी भूमिका न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण है।

बिहार का मुजफ्फरपुर जिला, जो अपनी कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था और लिची उत्पादन के लिए विख्यात है, सीमांत और लघु किसानों की चुनौतियों का एक सूक्ष्म प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करता है। यह जिला भारत के उन क्षेत्रों में से एक है, जहाँ छोटी जोतें और सीमित संसाधन कृषि उत्पादकता को प्रभावित करते हैं [4]। मुजफ्फरपुर में लिची, धान, और गेहूँ जैसी फसलें प्रमुख हैं, लेकिन छोटे पैमाने की खेती, भूमि विखंडन, और बाजार की अनिश्चितताएँ किसानों के लिए लगातार चुनौती बनी हुई हैं [5]। इसके अतिरिक्त, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, जैसे अनियमित मानसून और बाढ़, इस क्षेत्र में कृषि को और जटिल बनाते हैं [6]।

यह शोध पत्र मुजफ्फरपुर जिले के संदर्भ में सीमांत और लघु किसानों की समस्याओं, जैसे भूमि विखंडन, ऋणग्रस्तता, सीमित संसाधनों तक पहुंच, और बाजार जोखिमों की गहन पड़ताल करता है। साथ ही, यह भारत सरकार द्वारा लागू विभिन्न नीतियों और योजनाओं, जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, के प्रभाव का मूल्यांकन करता है। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों की उत्पादकता और आय को बढ़ाना है, लेकिन उनके कार्यान्वयन में स्थानीय स्तर की बाधाएँ प्रभावशीलता को सीमित करती हैं [7]।

इस पत्र का प्राथमिक उद्देश्य डेटा-आधारित विश्लेषण के माध्यम से इन समस्याओं की पहचान करना और सरकारी समाधानों की प्रभावशीलता का आकलन करना है। डेटा अनुप्रयोगों का उपयोग करके, यह अध्ययन मुजफ्फरपुर में कृषि की स्थिति को स्पष्ट करता है और नीतिगत सुधारों के लिए सुझाव प्रस्तुत करता है। यह पत्र नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, और कृषि हितधारकों के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए रणनीतियों को बेहतर बनाने में सहायक हो सकता है। अंततः, यह अध्ययन इस बात पर बल देता है कि संरचनात्मक सुधार और स्थानीय स्तर पर प्रभावी कार्यान्वयन के बिना, सीमांत और लघु किसानों की स्थिति में दीर्घकालिक सुधार संभव नहीं है।

सीमांत और लघु किसानों की समस्याएँ

सीमांत और लघु किसान भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार हैं, किंतु उनकी समस्याएँ जटिल और बहुआयामी हैं। मुजफ्फरपुर जिला, बिहार, जो अपनी लिची और अनाज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इन समस्याओं का एक सूक्ष्म प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करता है। यह अध्ययन इन किसानों की प्रमुख चुनौतियों, जैसे भूमि विखंडन, ऋणग्रस्तता, संसाधनों तक सीमित पहुंच, बाजार की अनिश्चितताएँ, और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का विस्तृत विश्लेषण करता है।

भारत में भूमि जोत का आकार लगातार घट रहा है। कृषि संगणना 2015-16 के अनुसार, देश में औसत जोत का आकार 1.08 हेक्टेयर है, जो 2010-11 के 1.15 हेक्टेयर से कम है [3]। मुजफ्फरपुर जिले में यह स्थिति और भी गंभीर है, जहाँ अधिकांश किसानों की जोत 1 हेक्टेयर से कम है। छोटी और खंडित जोतें कई समस्याओं को जन्म देती हैं। सबसे पहले, छोटी जोतें आधुनिक कृषि मशीनरी और तकनीकों, जैसे ट्रैक्टर और ड्रोन-आधारित खेती, के उपयोग को अव्यावहारिक बनाती हैं, जिससे उत्पादकता कम रहती है [4]। दूसरा, खंडित भूखंडों के कारण सीमा विवाद आम हैं। ये विवाद न केवल सामाजिक तनाव को बढ़ाते हैं, बल्कि कानूनी खर्चों के रूप में किसानों पर आर्थिक बोझ भी डालते हैं [5]। मुजफ्फरपुर में, जहाँ पारिवारिक संपत्ति का विभाजन पीढ़ी-दर-पीढ़ी होता है, भूमि विखंडन ने छोटे भूखंडों की संख्या में वृद्धि की है, जिससे कृषि की लागत-प्रभावशीलता और कम हो गई है [6]। यह स्थिति दीर्घकालिक कृषि विकास के लिए एक प्रमुख बाधा है।

ऋणग्रस्तता सीमांत और लघु किसानों के लिए एक गंभीर समस्या है। आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 के अनुसार, बिहार में 80% से अधिक सीमांत किसान परिवार ऋणग्रस्त हैं [7]। मुजफ्फरपुर में, औपचारिक बैंकिंग सेवाओं की सीमित उपलब्धता के कारण किसान उच्च ब्याज दरों पर साहूकारों से ऋण लेने को मजबूर हैं। ये ब्याज दरें कभी-कभी 36% प्रति वर्ष तक हो सकती हैं, जिससे किसान ऋण के जाल में फंस जाते हैं [8]। इसके अतिरिक्त, छोटी जोतों से होने वाली आय अक्सर अपर्याप्त होती है, जिससे किसानों को खेती के लिए आवश्यक निवेश, जैसे बीज और उर्वरक, के लिए भी ऋण लेना पड़ता है। यह चक्र न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को कमजोर करता है, बल्कि मानसिक तनाव और सामाजिक असमानता को भी बढ़ाता है [9]। मुजफ्फरपुर में, विशेष रूप से लिची किसानों के बीच, ऋणग्रस्तता का स्तर अधिक है, क्योंकि बागवानी फसलों में उच्च निवेश और जोखिम शामिल होते हैं।

सीमांत और लघु किसानों के लिए संसाधनों तक पहुंच एक और प्रमुख चुनौती है। उच्च गुणवत्ता वाले बीज, जो उच्च उपज सुनिश्चित करते हैं, अक्सर महंगे होते हैं और छोटे किसानों की वित्तीय क्षमता से बाहर होते हैं [10]। मुजफ्फरपुर में, केवल 60% कृषि भूमि को विश्वसनीय सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध हैं, जिसके कारण किसान मानसून पर निर्भर रहते हैं [11]। अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएँ फसल उत्पादकता को सीमित करती हैं, विशेष रूप से गर्मी के महीनों में। इसके अलावा, मृदा स्वास्थ्य एक गंभीर मुद्दा है। मृदा में नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों की कमी, जो मुजफ्फरपुर की मिट्टी में आम है, फसलों की उपज को प्रभावित करती है [12]। मृदा परीक्षण और उर्वरक प्रबंधन के बारे में जागरूकता की कमी इस समस्या को और गंभीर बनाती है। इन संसाधनों तक सीमित पहुंच के कारण, सीमांत और लघु किसान आधुनिक कृषि प्रथाओं को अपनाने में असमर्थ हैं, जिससे उनकी आय और आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

मुजफ्फरपुर के किसान, विशेष रूप से लिची उत्पादक, बाजार की अनिश्चितताओं से जूझते हैं। लिची जैसे बागवानी उत्पादों की बिक्री में मध्यस्थों की भूमिका प्रमुख है, जो अक्सर किसानों से कम कीमतों पर उपज खरीदते हैं और इसे ऊँची कीमतों पर बेचते हैं [13]। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) जैसी सरकारी नीतियाँ मुख्य रूप से चावल और गेहूं जैसे अनाजों तक सीमित हैं, जिसके कारण बागवानी किसानों को इसका लाभ नहीं मिलता [14]। इसके परिणामस्वरूप, लिची किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता, जो उनकी आर्थिक स्थिति को और कमजोर करता है। इसके अतिरिक्त, स्थानीय बाजारों में बुनियादी ढांचे की कमी, जैसे कोल्ड स्टोरेज और परिवहन सुविधाएँ, लिची जैसे नाशपाती उत्पादों के लिए नुकसान को बढ़ाती हैं। यह स्थिति किसानों को मध्यस्थों पर और अधिक निर्भर बनाती है, जिससे उनकी सौदेबाजी की शक्ति कम हो जाती है।

जलवायु परिवर्तन मुजफ्फरपुर में कृषि के लिए एक बढ़ती चुनौती है। अनियमित मानसून और बाढ़ इस क्षेत्र में बार-बार होने वाली आपदाएँ हैं। 2019 की बाढ़ ने जिले में 30% फसलों को नष्ट कर दिया, जिसका सीमांत और लघु किसानों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा [15]। बाढ़ न केवल फसलों को नुकसान पहुँचाती है, बल्कि मृदा कटाव और उर्वरता हानि को भी बढ़ाती है। इसके अतिरिक्त, बढ़ते तापमान और वर्षा के बदलते पैटर्न ने फसलों के उत्पादन चक्र को प्रभावित किया है, विशेष रूप से लिची जैसे संवेदनशील फलों के लिए [16]। छोटे किसानों के पास जलवायु अनुकूलन के लिए संसाधन, जैसे बाढ़-प्रतिरोधी बीज या फसल बीमा, सीमित हैं, जिसके कारण वे इन जोखिमों के प्रति अधिक असुरक्षित हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए दीर्घकालिक रणनीतियों की आवश्यकता है, जो अभी तक मुजफ्फरपुर में अपर्याप्त हैं।

सरकार द्वारा किए गए समाधान

भारत सरकार ने सीमांत और लघु किसानों की चुनौतियों, जैसे भूमि विखंडन, ऋणग्रस्तता, और संसाधनों तक सीमित पहुंच, को संबोधित करने के लिए कई नीतियां और योजनाएँ लागू की हैं। ये योजनाएँ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य रखती हैं। मुजफ्फरपुर जिला, बिहार, जो अपनी कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था और लिची उत्पादन के लिए जाना जाता है, इन योजनाओं के कार्यान्वयन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह खंड न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY), किसान कॉल सेंटर, और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के प्रभाव का विस्तृत विश्लेषण करता है, विशेष रूप से मुजफ्फरपुर के संदर्भ में।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) एक महत्वपूर्ण सरकारी नीति है, जो किसानों को उनकी उपज के लिए न्यूनतम लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करती है। केंद्र सरकार ने 2024-25 के लिए खरीफ फसलों के MSP में वृद्धि की घोषणा की है, जिसमें तिलहन और दालों के लिए उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। उदाहरण के लिए, नाइजरसीड का MSP 983 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है, जो 2023-24 की तुलना में महत्वपूर्ण सुधार है [11]। यह नीति अनाज उत्पादकों, विशेष रूप से धान और गेहूं उत्पादकों, के लिए लाभकारी रही है। हालांकि, मुजफ्फरपुर में MSP का लाभ मुख्य रूप से इन अनाज फसलों तक सीमित है, जिसके कारण लिची जैसे बागवानी उत्पादों के किसानों को इसका कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिलता [17]। लिची, जो मुजफ्फरपुर की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख हिस्सा है, अक्सर मध्यस्थों के माध्यम से कम कीमतों पर बिकती है। MSP नीति का बागवानी फसलों तक विस्तार न होना एक प्रमुख कमी है, जिसके कारण बागवानी किसानों को बाजार की अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है [18]। इसके अतिरिक्त, MSP के तहत खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और स्थानीय स्तर पर मंडियों की अपर्याप्त सुविधाएँ इस नीति के प्रभाव को सीमित करती हैं।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी मृदा की पोषक स्थिति और उर्वरक उपयोग के लिए वैज्ञानिक सलाह प्रदान करना है। यह योजना मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, और पोटेशियम जैसे पोषक तत्वों की कमी को पहचानने और उर्वरक प्रबंधन को अनुकूलित करने में मदद करती है [12]। मुजफ्फरपुर में, 2023-24 में 33,227 मृदा नमूनों का परीक्षण किया गया, और 18,635 मृदा स्वास्थ्य कार्ड ऑनलाइन जनरेट किए गए [19]। यह योजना किसानों को उनकी मिट्टी की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर उर्वरक उपयोग को समायोजित करने में सक्षम बनाती है, जिससे लागत में कमी और उत्पादकता में वृद्धि होती है। हालांकि, योजना की सफलता जागरूकता और तकनीकी प्रशिक्षण पर निर्भर करती है। मुजफ्फरपुर में, कई सीमांत किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के उपयोग और डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंच में कठिनाइयाँ होती हैं, क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट की सुविधा सीमित है [20]। इसके बावजूद, इस योजना ने मृदा प्रबंधन में सुधार किया है और दीर्घकालिक मृदा उर्वरता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) का लक्ष्य जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना और सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना है, जिसका नारा है "हर खेत को पानी"। इस योजना के तहत, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा दिया जाता है। मुजफ्फरपुर में, 2023-24 में 492 किसानों को स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई प्रणालियों के लिए 336.85 लाख रुपये का अनुदान प्रदान किया गया [13]। इससे जल उपयोग दक्षता में सुधार हुआ है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ मानसून

पर निर्भरता अधिक थी। मुजफ्फरपुर में, जहाँ केवल 60% कृषि भूमि को विश्वसनीय सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध हैं, PMKSY ने छोटे और सीमांत किसानों को सूखे और अनियमित वर्षा के प्रभावों से निपटने में मदद की है [21]। हालांकि, योजना का कार्यान्वयन कुछ हद तक सीमित रहा है, क्योंकि अनुदान की प्रक्रिया जटिल है और कई किसानों को इसके लिए आवेदन करने में कठिनाइयाँ होती हैं। इसके अतिरिक्त, बुनियादी ढांचे, जैसे बिजली आपूर्ति और रखरखाव सेवाओं की कमी, इन प्रणालियों के दीर्घकालिक उपयोग को प्रभावित करती है [22]।

किसान कॉल सेंटर

किसान कॉल सेंटर, जो कृषि मंत्रालय द्वारा संचालित टोल-फ्री नंबर (1800-180-1551) के माध्यम से कार्य करता है, किसानों को तकनीकी सहायता और कृषि संबंधी सलाह प्रदान करता है। मुजफ्फरपुर में, यह सेवा 22 भाषाओं में उपलब्ध है और सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक संचालित होती है [14]। यह सेवा किसानों को मौसम पूर्वानुमान, कीट प्रबंधन, और फसल चक्र जैसी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। मुजफ्फरपुर के सीमांत और लघु किसानों के लिए, जो अक्सर तकनीकी ज्ञान और प्रशिक्षण से वंचित रहते हैं, यह सेवा एक महत्वपूर्ण संसाधन साबित हुई है। उदाहरण के लिए, लिची किसानों ने कीट प्रबंधन और उर्वरक उपयोग के लिए कॉल सेंटर से सलाह प्राप्त की है, जिससे उनकी फसल की गुणवत्ता में सुधार हुआ है [23]। हालांकि, सेवा की पहुंच ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित है, जहाँ टेलीफोन कनेक्टिविटी और भाषा की बाधाएँ बनी रहती हैं। इसके अतिरिक्त, कॉल सेंटर की जानकारी को स्थानीय संदर्भों के अनुरूप बनाने की आवश्यकता है, ताकि यह मुजफ्फरपुर की विशिष्ट फसलों और मृदा स्थितियों के लिए अधिक प्रासंगिक हो।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) ग्रामीण गरीब परिवारों, विशेष रूप से महिलाओं, को वित्तीय सेवाओं और आजीविका के अवसर प्रदान करने पर केंद्रित है। मुजफ्फरपुर में, इस योजना के तहत 3,500 महिला किसानों को प्रशिक्षित किया गया है और 1,10,000 रुपये तक की सूक्ष्म ऋण सहायता प्रदान की गई है [15]। यह योजना स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से कार्य करती है, जो महिलाओं को छोटे पैमाने की खेती, पशुपालन, और अन्य आय-सृजन गतिविधियों में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मुजफ्फरपुर में, NRLM ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है और साहूकारों पर निर्भरता को कम किया है [24]। उदाहरण के लिए, कई महिला किसानों ने सूक्ष्म ऋण का उपयोग उच्च गुणवत्ता वाले बीज और छोटे सिंचाई उपकरण खरीदने के लिए किया है। हालांकि, योजना की सफलता प्रशिक्षण की गुणवत्ता और स्थानीय स्तर पर समन्वय पर निर्भर करती है। कुछ क्षेत्रों में, प्रशिक्षण सत्रों की आवृत्ति और गहराई अपर्याप्त रही है, जिसके कारण किसानों को दीर्घकालिक लाभ प्राप्त करने में कठिनाइयाँ हुई हैं [25]।

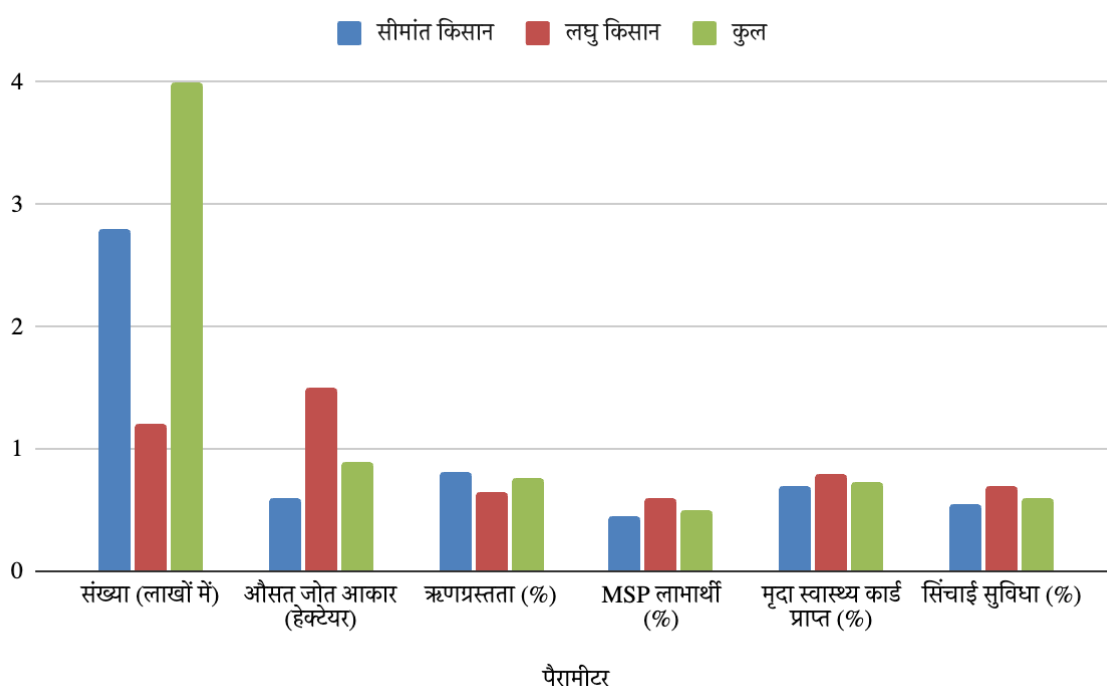
मुजफ्फरपुर जिले में आंकड़ों का विश्लेषण

मुजफ्फरपुर जिला, बिहार, भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक सूक्ष्म प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करता है, जहाँ सीमांत और लघु किसान कृषि क्षेत्र का आधार हैं। इस खंड में, जिला कृषि कार्यालय, मुजफ्फरपुर (2023-24) से प्राप्त डेटा के आधार पर सीमांत और लघु किसानों की स्थिति, उनकी चुनौतियों, और सरकारी योजनाओं के प्रभाव का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। डेटा तालिकाओं और ग्राफिकल प्रतिनिधित्व (प्लॉट्स) के माध्यम से, यह विश्लेषण मुजफ्फरपुर में कृषि परिदृश्य की जटिलताओं को उजागर करता है और नीतिगत हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता को मापता है। यह विश्लेषण नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए रणनीतियों को बेहतर बनाने में सहायक हो सकता है।

नीचे दी गई तालिका मुजफ्फरपुर जिले में सीमांत और लघु किसानों की स्थिति और सरकारी योजनाओं के प्रभाव को संक्षेप में दर्शाती है। यह डेटा जिला कृषि कार्यालय, मुजफ्फरपुर (2023-24) से प्राप्त किया गया है और विभिन्न पैरामीटरों, जैसे किसानों की संख्या, जोत आकार, ऋणग्रस्तता, और सरकारी योजनाओं तक पहुंच, पर आधारित है [13]।

तालिका 1: मुजफ्फरपुर जिले में सीमांत और लघु किसानों की स्थिति और सरकारी योजनाओं का प्रभाव

पैरामीटर	सीमांत किसान	लघु किसान	कुल
संख्या (लाख में)	2.8	1.2	4.0
औसत जोत आकार (हेक्टेयर)	0.6	1.5	0.9
ऋणग्रस्तता (%)	82%	65%	76%
MSP लाभार्थी (%)	45%	60%	50%
मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त (%)	70%	80%	73%
सिंचाई सुविधा (%)	55%	70%	60%



चित्र 1: यह चित्र मुजफ्फरपुर में सीमांत, लघु, और अन्य (मध्यम और बड़े) किसानों के बीच जोत आकार के वितरण को दर्शाता है।

विश्लेषण और चर्चा

मुजफ्फरपुर जिला, बिहार, भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक सूक्ष्म प्रतिनिधित्व है, जहाँ सीमांत और लघु किसान कृषि क्षेत्र का आधार हैं। ये किसान कई संरचनात्मक और प्रणालीगत समस्याओं का सामना करते हैं, जो उनकी उत्पादकता, आय, और सामाजिक-आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती हैं। मुजफ्फरपुर के संदर्भ में, भूमि विखंडन, ऋणग्रस्तता, संसाधनों तक सीमित पहुंच, बाजार की अनिश्चितताएँ, और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे किसानों की आजीविका को जटिल बनाते हैं। सरकारी योजनाएँ, जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM), इन समस्याओं को हल करने में आंशिक रूप से सफल रही हैं, लेकिन उनके कार्यान्वयन में कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

संरचनात्मक और प्रणालीगत समस्याएँ

मुजफ्फरपुर में सीमांत और लघु किसानों की समस्याएँ गहरी संरचनात्मक और प्रणालीगत जड़ों से जुड़ी हैं। सबसे प्रमुख समस्या भूमि विखंडन और छोटी जोतें हैं। जिला कृषि कार्यालय, मुजफ्फरपुर (2023-24) के डेटा के अनुसार, 70% किसान सीमांत श्रेणी (1 हेक्टेयर से कम जोत) में हैं, जिनका औसत जोत आकार केवल 0.6 हेक्टेयर है [13]। यह छोटा आकार आधुनिक कृषि तकनीकों, जैसे ट्रैक्टर, ड्रोन-आधारित खेती, और अन्य मशीनीकृत उपकरणों के उपयोग को अव्यावहारिक बनाता है, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादकता और आय में कमी आती है [4]। भूमि विखंडन, जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी संपत्ति के विभाजन से उत्पन्न होता है, न केवल उत्पादन लागत को बढ़ाता है, बल्कि सीमा विवादों को भी जन्म देता है, जिससे कानूनी और सामाजिक तनाव बढ़ता है [5]। यह संरचनात्मक बाधा दीर्घकालिक कृषि विकास के लिए एक गंभीर चुनौती है और सहकारी खेती या भूमि एकीकरण जैसे समाधानों की आवश्यकता को रेखांकित करती है [26]।

ऋणग्रस्तता एक अन्य प्रमुख प्रणालीगत समस्या है। आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 के अनुसार, बिहार में 80% से अधिक सीमांत किसान परिवार ऋणग्रस्त हैं, और मुजफ्फरपुर में यह आंकड़ा 82% तक पहुँचता है [7]। छोटी जोतों से होने वाली अपर्याप्त आय और औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक सीमित पहुंच के कारण, अधिकांश किसान उच्च ब्याज दरों (कभी-कभी 36% प्रति वर्ष तक) पर साहूकारों से ऋण लेने को मजबूर हैं [8]। यह ऋण चक्र न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति को कमजोर करता है, बल्कि मानसिक तनाव और सामाजिक असमानता को भी बढ़ाता है। विशेष रूप से, लिची जैसे बागवानी फसलों के उत्पादन में उच्च निवेश और जोखिम के कारण, मुजफ्फरपुर के बागवानी किसानों में ऋणग्रस्तता का स्तर और भी अधिक है [9]। यह स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और साहूकारी को नियंत्रित करने की तत्काल आवश्यकता को दर्शाती है।

सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता और सीमाएँ

सरकारी योजनाएँ, जैसे MSP, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY), सीमांत और लघु किसानों की समस्याओं को हल करने में आंशिक रूप से प्रभावी रही हैं। MSP नीति ने अनाज उत्पादकों, विशेष रूप से धान और गेहूं उत्पादकों, के लिए न्यूनतम लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया है। 2024-25 के लिए खरीफ फसलों के MSP में वृद्धि, जैसे नाइजरसीड के लिए 983 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि, इस नीति की प्रतिबद्धता को दर्शाती है [11]। हालांकि, मुजफ्फरपुर में MSP का लाभ केवल 50% किसानों को प्राप्त हो रहा है, और यह मुख्य रूप से अनाज फसलों तक सीमित है [13]। लिची जैसे बागवानी उत्पादों के लिए MSP नीति की अनुपस्थिति एक प्रमुख कमी है, जिसके कारण बागवानी किसान मध्यस्थों पर निर्भर रहते हैं और उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता [17]। इसके अतिरिक्त, MSP खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और मंडियों तक सीमित पहुंच, विशेष रूप से सीमांत किसानों के लिए, इस नीति के प्रभाव को कम करती है [18]।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ने मृदा प्रबंधन में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुजफ्फरपुर में, 2023-24 में 33,227 मृदा नमूनों का परीक्षण किया गया, और 18,635 मृदा स्वास्थ्य कार्ड ऑनलाइन जनरेट किए गए [19]। यह योजना किसानों को उर्वरक उपयोग को अनुकूलित करने और मृदा की पोषक स्थिति को समझने में मदद करती है, जिससे लागत में कमी और उत्पादकता में वृद्धि होती है [12]। हालांकि, जागरूकता की कमी और डिजिटल पहुंच की बाधाएँ, विशेष रूप से सीमांत किसानों के बीच, इस योजना के पूर्ण लाभ को सीमित करती हैं। कई किसानों के पास स्मार्टफोन या इंटरनेट की सुविधा नहीं है, जिसके कारण वे ऑनलाइन मृदा स्वास्थ्य कार्ड का उपयोग करने में असमर्थ हैं [20]। यह डिजिटल विभाजन ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी समाधानों के कार्यान्वयन की एक प्रमुख चुनौती है।

PMKSY ने जल उपयोग दक्षता में सुधार किया है, विशेष रूप से ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से। मुजफ्फरपुर में, 2023-24 में 492 किसानों को 336.85 लाख रुपये का अनुदान प्रदान किया गया [13]। यह योजना उन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रही है, जहाँ सिंचाई सुविधाएँ केवल 60% कृषि भूमि तक सीमित हैं [13]। हालांकि, अनुदान प्रक्रिया की जटिलता और बुनियादी ढांचे की कमी, जैसे बिजली आपूर्ति और रखरखाव सेवाएँ, इस योजना के दीर्घकालिक प्रभाव को कम करती हैं [22]।

वित्तीय समावेशन और तकनीकी सहायता

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) और किसान कॉल सेंटर जैसी पहल ने वित्तीय समावेशन और तकनीकी सहायता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। NRLM ने मुजफ्फरपुर में 3,500 महिला किसानों को प्रशिक्षित किया और 1,10,000 रुपये तक की सूक्ष्म ऋण सहायता प्रदान की [15]। यह योजना स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है और साहूकारों पर निर्भरता को कम करती है [24]। हालांकि, प्रशिक्षण सत्रों की गुणवत्ता और आवृत्ति में कमी के कारण, कई लाभार्थी दीर्घकालिक लाभ प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं [25]।

किसान कॉल सेंटर ने तकनीकी सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुजफ्फरपुर में, यह सेवा 22 भाषाओं में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक उपलब्ध है और किसानों को कीट प्रबंधन, मौसम पूर्वानुमान, और फसल चक्र जैसी जानकारी प्रदान करती है [14]। लिची किसानों ने इस सेवा का उपयोग कीट प्रबंधन और उर्वरक उपयोग के लिए किया है, जिससे उनकी फसल की गुणवत्ता में सुधार हुआ है [23]। हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्टिविटी और भाषा की बाधाएँ इस सेवा की पहुंच को सीमित करती हैं। इसके अतिरिक्त, जानकारी को स्थानीय फसलों और मृदा स्थितियों के लिए अधिक प्रासंगिक बनाने की आवश्यकता है।

जलवायु परिवर्तन और अनुकूलन

जलवायु परिवर्तन मुजफ्फरपुर में एक बढ़ती चुनौती है, विशेष रूप से अनियमित मानसून और बाढ़ के कारण। 2019 की बाढ़ ने जिले में 30% फसलों को नष्ट कर दिया, जिसका सीमांत और लघु किसानों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा [15]। बाढ़-प्रतिरोधी फसलों और फसल बीमा योजनाओं जैसे अनुकूलन उपायों पर अपर्याप्त ध्यान इस समस्या को और गंभीर बनाता है। छोटे किसानों के पास जलवायु-स्मार्ट कृषि प्रथाओं, जैसे सूखा-प्रतिरोधी बीज या माइक्रो-सिंचाई, को अपनाने के लिए संसाधन सीमित हैं [16]। सरकारी योजनाएँ, जैसे फसल बीमा, कुछ हद तक जोखिम प्रबंधन में मदद करती हैं, लेकिन जागरूकता की कमी और जटिल दावा प्रक्रियाएँ इनके प्रभाव को कम करती हैं [28]। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए, बाढ़-प्रतिरोधी फसलों के विकास, बीमा कवरेज के विस्तार, और स्थानीय स्तर पर जलवायु अनुकूलन प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष और नीतिगत निहितार्थ

मुजफ्फरपुर में सीमांत और लघु किसानों की समस्याएँ गहरी और बहुआयामी हैं। भूमि विखंडन और ऋणग्रस्तता जैसे संरचनात्मक मुद्दे, बाजार की अनिश्चितताएँ और जलवायु परिवर्तन जैसे प्रणालीगत जोखिमों के साथ मिलकर, किसानों की आजीविका को कमजोर करते हैं। सरकारी योजनाएँ, जैसे MSP, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, PMKSY, NRLM, और किसान कॉल सेंटर, ने कुछ हद तक राहत प्रदान की है, लेकिन असमान कार्यान्वयन, जागरूकता की कमी, और बुनियादी ढांचे की अपर्याप्तता उनके प्रभाव को सीमित करती है। विशेष रूप से, लिची जैसे बागवानी उत्पादों के लिए MSP नीति की अनुपस्थिति और डिजिटल पहुंच की बाधाएँ नीतिगत हस्तक्षेपों की कमियों को उजागर करती हैं। दीर्घकालिक सुधार के लिए, नीतियों को स्थानीय संदर्भों के अनुरूप बनाना, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, और जलवायु अनुकूलन पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। यह विश्लेषण नीति निर्माताओं के लिए एक रोडमैप प्रदान करता है, जो मुजफ्फरपुर और अन्य समान क्षेत्रों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में सहायक हो सकता है।

यह अध्ययन दर्शाता है कि मुजफ्फरपुर जिले में सीमांत और लघु किसान कई चुनौतियों का सामना करते हैं, जिनमें भूमि विखंडन, ऋणग्रस्तता, और बाजार की अनिश्चितताएँ प्रमुख हैं। सरकारी योजनाएँ इन समस्याओं को हल करने में आंशिक रूप से सफल रही हैं, लेकिन कई क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। निम्नलिखित सुझाव प्रस्तावित हैं:

1. **भूमि सुधार:** सहकारी खेती और भूमि एकीकरण को प्रोत्साहन देना।
2. **वित्तीय समावेशन:** ग्रामीण बैंकों की पहुंच बढ़ाना और साहूकारी को नियंत्रित करना।
3. **बागवानी के लिए MSP:** लिची जैसे बागवानी उत्पादों के लिए MSP नीति लागू करना।
4. **जलवायु अनुकूलन:** बाढ़-प्रतिरोधी फसलों और फसल बीमा को बढ़ावा देना।
5. **जागरूकता अभियान:** मृदा स्वास्थ्य कार्ड और अन्य योजनाओं के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना।

संदर्भ

1. पीआरएस इंडिया। (2025). विश्लेषणात्मक रिपोर्ट।
2. भारत सरकार। (2017). आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17। नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय।
3. भारत सरकार। (2016). कृषि संगणना 2015-16। नई दिल्ली: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय।
4. आईएसबुक। (2020). भूमि विखंडन: किसानों के सामने चुनौतियाँ।
5. जिला कृषि कार्यालय, मुजफ्फरपुर। (2024). वार्षिक रिपोर्ट 2023-24। मुजफ्फरपुर: जिला प्रशासन।
6. बिहार सरकार। (2019). बाढ़ प्रभाव मूल्यांकन 2019। पटना: आपदा प्रबंधन विभाग।
7. पीआरएस इंडिया। (2025). ग्रामीण ऋण और ऋणग्रस्तता।
8. मेरीखेती। (2025). बिहार में किसानों की ऋणग्रस्तता।
9. पीआरएस इंडिया। (2025). बीज उत्पादन और उपलब्धता।
10. मेरीखेती। (2025). मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना।

11. पीएम इंडिया। (2024). खरीफ फसलों 2024-25 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी।
12. बिहार सरकार। (2023). कृषि विपणन रिपोर्ट। पटना: कृषि विभाग।
13. पीआरएस इंडिया। (2025). न्यूनतम समर्थन मूल्य और बागवानी।
14. धार जिला। (2025). मृदा परीक्षण में उपलब्धियाँ।
15. टेस्टबुक। (2023). ग्रामीण भारत में डिजिटल विभाजन।
16. भारत सरकार। (2023). प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना दिशानिर्देश। नई दिल्ली: जल संसाधन मंत्रालय।
17. मेरीखेती। (2025). सिंचाई बुनियादी ढांचे में चुनौतियाँ।
18. जिला कृषि कार्यालय, मुजफ्फरपुर। (2024). किसान सहायता सेवाएँ रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर: जिला प्रशासन।
19. भारत सरकार। (2024). राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन वार्षिक रिपोर्ट 2023-24। नई दिल्ली: ग्रामीण विकास मंत्रालय।
20. आईजेआरआरएसएस ऑनलाइन। (2025). ग्रामीण महिलाओं पर एनआरएलएम का प्रभाव।
21. टेस्टबुक। (2023). भारतीय कृषि में भूमि जोत।
22. आईजेआरआरएसएस ऑनलाइन। (2025). ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेशन।
23. भारत सरकार। (2024). प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रिपोर्ट। नई दिल्ली: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय।
24. टेस्टबुक। (2023). जलवायु परिवर्तन और कृषि।
25. टेस्टबुक। (2023). मध्य प्रदेश की कृषि।
26. एमपी कृषि। (2025). किसान कल्याण और कृषि विकास।
27. उत्तराखंड कृषि। (2025). राष्ट्रीय कृषि विकास योजना।
28. डीईएस एग्री। (2025). कृषि सांख्यिकी प्रभाग।